सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-6 23 मार्च से 6 अप्रैल 2017 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती कुल पृष्ठ 8 मूल्य : 2 रुपये

134वीं बरसी पर स्मृति सभाएं कर कार्ल मार्क्स को दी गई श्रद्धांजली

सोनीपत : मार्क्स स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कॉ. सत्यवान

सोनीपत (हरियाणा) : महान कार्ल मार्क्स की 134वीं बरसी पर एसयूसीआई (सी) सोनीपत जिला कमेटी की ओर से 14 मार्च को छोटूराम धर्मशाला में स्मृति सभा की गई जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव कॉ. ईश्वर सिंह राठी ने की। सभा के मुख्य वक्ता पार्टी की केन्द्रीय कमेटी सदस्य सह राज्य सचिव कॉ. सत्यान थे। उन्होंने अपने भाषण में कार्ल मार्क्स के जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करते हुए उनसे सीख लेने का आह्वान किया। उनके अलावा राज्य कमेटी सदस्य कॉ. हरिप्रकाश व जिला कमेटी सदस्य कॉ. इन्द्र सिंह ने भी सभा को सम्बोधित किया।

तोशाम (हरियाणा): 14 मार्च को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की तोशाम ईकाई ने विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स की मृत्यु वार्षिकी पर भारत बर्फ फैक्टरी के पास स्मृति सभा की। सभा की अध्यक्षता पार्टी की स्थानीय कमेटी के सचिव कॉ. रोहतास सिंह ने की। सभा का संचालन पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. राजकुमार जांगड़ा ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के जिला सचिव कॉ. रामफल ने सम्बोधित किया।

कॉ. रामफल ने कहा कि मार्क्स ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने मानवजाति के इतिहास पर विचार करने के दर्शन का क्रान्तिकारी रूपांतर किया जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। उन्होंने दिखाया था कि मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। उन्होंने मानव इतिहास के विकास के नियमों की खोज की। उन्होंने ही पहले पहल दिखाया कि मुनाफा कहाँ से आता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की युगांतकारी खोज की।

उन्होंने दिखाया था कि दुनिया में हर चीज का जन्म, विकास और मृत्यु होती है। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था भी शाश्वत नहीं है। पूंजीवाद अपने साथ आधुनिक उद्योग व पूंजीवाद की कब्र खोदने वाले मजदूर वर्ग को भी लाया। मार्क्स ने कहा था कि अपने आपको बदल कर मजदूर दुनिया को बदलेंगे। उन्होंने नारा दिया था, 'दुनिया के मजदूरो, एक हो'। महान मार्क्स ने ही वैज्ञानिक समाजवाद की खोज की। उन्होंने कहा कि साम्यवादी व्यवस्था किसी की शुभेच्छा का फल नहीं है, बल्कि समाज विकास के ऐतिहासिक नियम से ही अवश्यम्भावी अंजाम है। उनके गहरे दोस्त फ्रेडरिक एंगेल्स ने उनको महान प्रतिभावान बताया था। उन्होंने सामाजिक संगठन और मजदूर आन्दोलन गठित करने में सक्रिय भूमिका अदा की थी। मार्क्स-एंगेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र की रचना की थी। इस तरह दुनिया के मजदूरों को अपनी मुक्ति की दिशा मिल गई थी। महान मार्क्स की वैज्ञानिक विचारधारा का इस्तेमाल करके ही महान लेनिन ने रूस में ऐतिहासिक नवम्बर क्रान्ति की थी। इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। दुनिया में पहली बार मजदूरों के नेतृत्व में शोषणहीन समाज अर्थात् समाजवाद कायम हुआ था। संघर्ष ही मार्क्स का परिचय है। उनका

(शेष पृष्ठ 2 पर)

तोशाम : मार्क्स स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कॉ. रामफल

पूरी श्रद्धा के साथ मनायी गई कॉमरेड स्तालिन की 64वीं बरसी

चेन्नई : स्तालिन स्मृति सभा को संबोधित करते हुए कॉ. के. राधाकृष्ण

चेन्नई (तमिलनाडु) : 11 मार्च को टाना स्ट्रीट, पुरासाईवाक्कम, चेन्नई में कॉमरेड स्तालिन की स्मृति सभा की गई। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. के. राधाकृष्ण मुख्य वक्ता थे। उन्होंने स्तालिन के जीवन-संघर्ष पर प्रकाश डाला। स्मृति सभा की अध्यक्षता पार्टी के तमिलनाडु राज्य कमेटी के सचिव कॉ. ए. रंगास्वामी ने की। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉ. ए. अनवरतन ने कॉ. के. राधाकृष्ण के भाषण का तमिल में अनुवाद किया। सभास्थल पर एक फोटो-उद्धरण प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें नवम्बर 1917 में हुई रूसी क्रान्ति के दिनों की तस्वीरें, स्तालिन के कथन और स्तालिन की तस्वीरें शामिल थी।

मुजफ्फरपुर (बिहार) : 5 मार्च को विश्व सर्वहारा के महान नेता, सोवियत रूस में समाजवाद के शिल्पी और फासीवाद-विरोधी संघर्ष के नायक कॉमरेड स्तालिन की 64वीं स्मृति सभा मोतीझील स्थित एसयूसीआई(सी) कार्यालय सभागार में की गयी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. अशोक कुमार सिंह ने की। सभा का संचालन जिला सचिव कॉ. अर्जुन कुमार ने किया। सभा की शुरूआत में कॉमरेड स्तालिन की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी गई।

स्मृति सभा को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के बिहार राज्य सचिव

(पृष्ठ 2 का शेष)

दिल्ली एम्बुलेंस स्टाफ संघर्ष की राह पर

एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध 600 से अधिक अनुबंधित व आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन की तरफ से अध्यक्ष नरेन्द्र लांबा व महासचिव अचित डवास के नेतृत्व में 10 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर सांकेतिक धरना दिया गया और मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया।

सभा को एनपीएचए की केन्द्र सरकार क्षेत्र की कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा व एआईयूटीयूसी की दिल्ली राज्य कमेटी के अध्यक्ष हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया।

दिल्ली : कैट्स एंबुलेंस स्टाफ के धरने को संबोधित करते हुए कॉ. हरीश त्यागी

देश भर में ... मार्क्स स्मृति सभाएं

(पृष्ठ 1 का शेष)

संघर्ष बेमिसाल था। कोई समस्या उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं पायी। दुश्मन खेमे द्वारा की गई उनकी अवज्ञा और दुष्प्रचार का जाल तोड़ते हुए वे आगे बढ़ते गये। मेहनतकशों को मुक्ति की दिशा दी। मेहनतकशों के दिलों में उनकी याद सदा अमर रहेगी।

जिला कमेटी सदस्य कॉ. जिले सिंह ने भी सभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि आज खुला बाजार मिल जाने पर भी विश्व पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था गहन मंदी में फंसी हुई है। इसके कारण व समाधान का पता सिर्फ मार्क्सवाद से ही लगाया जा सकता है। मार्क्स का नाम मेहनतकशों के लिए आज भी प्रेरणास्रोत है। महान चिंतनकार विश्व सर्वहारा के महान नेता को श्रद्धांजली दी गई।

स्मृति सभा में सन्दीप मेहरा, मनोहर लाल, उमेदसिंह, उदयवीर पुनिया, फूलसिंह, मास्टर राजकुमार, गीता आदि अनेक पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक शामिल थे जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थीं।

जमशेदपुर (झारखण्ड) : 14 मार्च को एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) जमशेदपुर नगर कमिटी की ओर से महान चिंतनकार कार्ल मार्क्स के स्मरण दिवस के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को पार्टी के झारखंड राज्य कमिटी के सदस्य कॉमरेड सुमित राय ने संबोधित करते हुए कहा, ''दुनिया के इतिहास में कई क्रांतियाँ हुई है, समाज में बदलाव आया है, परंतु गैर-बराबरी और शोषण का अंत नहीं हुआ। महान कार्ल मार्क्स ने ही वैज्ञानिक तरीके से यह दिखाया था कि ऐसा समाज जहाँ कोई शोषण, गैर-बराबरी नहीं होगी, उसका निर्माण करना संभव है। इसके बाद सोवियत रूस सहित विभिन्न देशों में इसी महान चिंतनकार के विचार से प्रेरणा लेकर समाजवाद कायम हुआ और अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति को कुछ सालों में ही समाप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पर अफसोस बाद में कार्ल मार्क्स के दिखाये हुए रास्ते से विचलन और संशोधनवाद ने रूस में और अन्य देशों में समाजवाद का पतन कर दिया। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत विज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए वे गलत नहीं हैं। इसका प्रयोग गलत हुआ। एक बीमार व्यक्ति के गलत इलाज के कारण यदि मौत हो जाए तो इससे मेडिकल सायंस गलत साबित नहीं हो जाती, बल्कि उसका गलत प्रयोग जिम्मेवार होता है। आज दुनिया भर में फिर से मजदूर-किसान आंदोलन तीव्र हो रहा है, आगामी दिनों में फिर से गलती से सीख लेते हुए कार्ल मार्क्स के दिखाये हुए रास्ते पर क्रांति होगी और यह अवश्यंभावी है।''

इस मौके पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के पूर्वी सिंहभूम जिला कमिटी के सदस्य कॉमरेड पतित पावन कुइला ने कहा कि यह वर्ष महान नवम्बर रूसी क्रांति का शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर साल भर इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

सागर(म.प्र.) :14 मार्च को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की सागर जिला समिति के तत्वावधान में तिली बाघराज वार्ड में विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स की स्मृति सभा की गई।

सभा के अध्यक्ष पार्टी के जिला सचिव कॉ. रामावतार शर्मा ने महान मार्क्स को श्रद्धांजली देते हुए कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता और वैज्ञानिक समाजवाद व साम्यवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जर्मनी में 5 मई को जन्मे मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च को लन्दन, इंग्लैण्ड में हुई थी। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करना और वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष में आगे आना ही महान मार्क्स को सच्ची श्रद्धांजली हैं।

सभा का संचालन कॉ. अशोक कुशवाहा ने किया। सभा में कॉ. शिवप्रसाद पटेल, तुलसी चढ़ार, भगत सिंह, संजय तिवारी और मनोज चौरसिया आदि उपस्थित थे।

कॉमरेड स्तालिन की 64वीं बरसी

(पृष्ठ 1 का शेष)

मुजफ्फरपुर : सभा को संबोधित करते हुए कॉ. अरुण कुमार सिंह

कॉ. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 100 साल पहले महान-लेनिन के नेतृत्व में 1917 में हुई महान नवम्बर क्रान्ति के द्वारा रूस में किसान-मजदूरों का राज कायम हुआ था। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण खत्म हुआ था। महान लेनिन के सहयोद्धा कॉ. स्तालिन के जीवन-संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महान नवम्बर क्रान्ति को सफल करने में स्तालिन ने लेनिन के सहयोद्धा की भूमिका अदा की और लेनिन की मृत्यु के बाद उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी के रूप में रूस को समाजवादी रास्ते पर विकास की बुलन्दियों पर पहुंचाया था। उन्होंन हर क्षेत्र में समाजवाद की श्रेष्ठता कायम की जबकि दुनिया के तमाम पूंजीवादी देश आर्थिक मंदी की चपेट में आये हुए थे। सोवियत रूस से भुखमरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि सामाजिक-आर्थिक व्याधियों से आम लोगों को मुक्त कर दिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में फासीवादी-साम्राज्यवादी शक्तियों को धूल चटा दी थी। साम्राज्यवादी मुल्कों की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्षरत मुल्कों के आजादी आन्दोलनों को मजबूत संबल दिया था। दुनिया के कमजोर मुल्कों को सहारा दिया था। उन्होंने आगे कहा कि स्तालिन की मृत्यु के बाद रूस में संशोधनवादी नेतृत्व आ जाने के कारण रूस में समाजवाद ढह गया। इसके साथ ही मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर पूंजीवादी-साम्राज्यवादी हमले ताबड़तोड़ जारी हैं।

उन्होंने कॉ. स्तालिन के जीवन-संघर्ष व उच्च कम्युनिस्ट चरित्र से सीख व प्रेरणा लेकर भारत में पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति के परिपूरक संघर्षों को तेज करने का आह्वान किया।

स्मृति सभा को राज्य कमेटी सदस्य लालबाबू महतो ने भी सम्बोधित किया। सभा में कॉ. योगेन्द्र राम, साधना मिश्रा, प्रमोद कुमार, उमाशंकर वर्मा, इन्द्रदेव राय और जिला कमेटी सदस्य कॉ. काशीनाथ सहनी, मो. इदरीश, नरेश राम, तारकेश्वर गिरि, अरविन्द कुमार आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सभा में सैकड़ों किसान-मजदूर, छात्र-नौजवान और महिलाएं शामिल हुई। अन्तर्राष्ट्रीय गान व कॉमरेड शिवदास घोष पर रचित गान के साथ सभा का समापन हुआ।

गुना(म.प्र.) : 5 मार्च को यहां विश्व सर्वहारा के महान नेता रूस में समाजवादी राष्ट्र के शिल्पी कॉमरेड स्तालिन की स्मृति सभा की गई। स्मृति सभा की अध्यक्षता एसयूसीआई(सी) पार्टी के जिला सचिव कॉ. प्रदीप आर.बी. ने की। सभा को पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. लोकेश शर्मा, मनीष श्रीवास्तव ने सम्बोधित किया।

भिवानी (हरियाणा) : 5 मार्च को सोवियत रूस में समाजवाद के शिल्पी, विश्व सर्वहारा के महान नेता जे.वी. स्तालिन की 64वीं बरसी पर यहां दिनोद गेट स्थित एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला कार्यालय में स्मृति सभा की गयी। इसकी अध्यक्षता पार्टी के स्थानीय कमेटी के सचिव कॉ. राजकुमार जांगड़ा ने की। सभा की शुरूआत में कॉमरेड स्तालिन की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी गई। सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्य वक्ता पार्टी के जिला सचिव कॉ. रामफल ने कहा कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के रास्ते पर 100 साल पहले महान-लेनिन के नेतृत्व 7 से 17 नवम्बर 1917 में दुनिया को हिला देने वाली घटना, महान नवम्बर समाजवादी क्रान्ति हुई थी और पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर किसान मजदूरों का राज कायम हुआ था। महान लेनिन के सहयोद्धा, सोवियत समाजवाद के प्राणपुरुष स्तालिन ने रूस में समाजवाद की ईमारत खड़ी की। रूस से बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति को खत्म कर दिया था। ज्ञान-विज्ञान-तकनिकी, कृषि व उद्योगों का शानदार विकास हुआ था। जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी। स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत लाल फौज और जनता ने असंख्य जान कुर्बान करके फासीवाद की काली छाया से पूरी दुनिया को बचाया था, इस बात को इतिहास श्रद्धा के साथ याद करता है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद की पताका तले स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत रूस दुनिया के मुक्तिकामी लोगों के भरोसे, उपनिवेशों के मुक्ति-संघर्ष की प्रेरणा और युद्धों के खिलाफ विश्व-शान्ति के एक ताकतवर किले में तब्दील हो गया था।

उन्होंने कहा कि पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न, अन्याय-अत्याचार से जर्जर जनजीवन में छाये चौतरफा संकट के वर्तमान दौर में आज पूंजीवादी शोषण से बेहाल जनता में महान स्तालिन की याद फिर से ताजा हो उठ रही है। रूस के जनमत सर्वेक्षणों में बार-बार साबित हो रहा है कि समाजवादी व्यवस्था और लेनिन-स्तालिन की याद जनमानस से मिटाई नहीं जा सकी है। रूस सहित दुनियाभर में स्तालिन के योगदान और मार्क्सवाद-लेनिनवाद की फिर से चर्चा हो रही है। नये सिरे से यह समझदारी जोर पकड़ रही है कि समाजवाद मनघड़त सिद्धांत नहीं है, अन्य विज्ञानों की तरह मार्क्सवाद का प्रयोग भी सही ढंग से करना होता है। समाजवाद को लगा धक्का क्षणिक है। क्रान्ति की जीत होना लाजिमी है।

स्मृति सभा में धर्मवीर सिंह, सन्दीप मेहरा, सुखबीर, मनीराम, राजकुमार दिनोदिया, रफीकन, बिमला आदि अनेक पाटी कार्यकर्ता शामिल रहे।

भिवानी: कॉ. स्तालिन को श्रद्धांजली देते हुए कार्यकर्ता

सोवियत समाजवाद ने स्थापित किया था नारियों का समानाधिकार

क्रान्तिपूर्व रूस में महिलाएं दासियों की तरह थी

रूस में जार के शासन काल में महिलाओं को लगभग कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। वे वोट नहीं दे सकती थी। सरकार और नागरिक संस्थानों के दरवाजे उनके लिए बन्द थे। जार के शासन में विवाह सम्बंधी अपमानजनक कानून ने वस्तुतः महिलाओं को दास बना कर रख दिया था। अशिक्षित पुरुषों की तुलना में अशिक्षित नारियों की संख्या ज्यादा होना ही अति स्वाभाविक मामला समझा जाता था।

कामगार महिलाओं का जीवन पूरी तरह आनन्द रहित था। सबसे अकुशल और हाड़तोड़ मेहनत के काम महिलाओं, यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों से करवाए जाते थे। पुरुष कामगारों की तुलना में उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। पुरुष कामगारों की तरह ही महिलाओं को भी सारा दिन 10 से 12 घण्टे काम करना पड़ता था। आधा पेट खाकर वंचना और अभाव में ही उनके दिन कटते थे। बीच बीच में लगातार बेरोजगारी और मालिकों का बर्बर शोषण मजदूर वर्ग के परिवारों में टूटन पैदा कर देता था।

कृषि करने वाली महिलाओं का जीवन भी इससे कुछ अच्छा नहीं था। उनको भी सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती थी। एक मिनट के लिए भी विश्राम नहीं मिलता था।

उनके बीच सबसे खराब स्थिति में थी असंख्य छोटे छोटे उपराष्ट्रों की महिलाएं। उदाहरण के रूप में जार के रूस के पूर्वांचल में स्थित इलाकों की महिलाओं की बात का उल्लेख किया जा सकता है। न्यूनतम मानवाधिकारों तक से वे वंचित थीं। रीति-रिवाज के मुताबिक पूर्व के इलाकों में प्रचलित घूँघट में उन्हें चेहरा छिपा कर रखना होता था। पुरुषों के साथ एक मेज पर बैठना वर्जित था। कन्या संतान के जन्म को दुर्भाग्यजनक घटना के रूप में माना जाता था। एक से अधिक कन्या संतान होना परिवार के लिए अपमानजनक था।

नवम्बर समाजवादी क्रान्ति ने खोल दिया था महिलाओं की मुक्ति का दरवाजा

महान नवम्बर क्रान्ति ने पुरुषों के साथ सब मामलों में समानाधिकार प्रदान करके महिलाओं को मुक्ति दी थी।

सोवियत यूनियन के संविधान की धारा 122 में घोषणा की गई थी : ''यू.एस.एस.आर. में आर्थिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के सब क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं।

''रोजगार, मजदूरी, आराम, अवसर, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबर मर्यादा और राष्ट्र की तरफ से माँ और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना, पूरी मजदूरी सहित प्रसवपूर्व और मातृत्वकालीन छुट्टी और व्यापक संख्या में मातृसदन, नर्सरी और किण्डरगार्टनों की व्यवस्था करना–इन सबके माध्यम से इन अधिकारों के प्रयोग की संभावना को सुनिश्चित किया जाता है।''

संविधान की धारा 137 में घोषित किया गया है:

''पुरुषों की तरह समान नियमों के तहत महिलाओं को भी चुनने और चुने जाने का अधिकार है।''

कानून ने जो अधिकार दिए हैं, वे ताकि ठीक से लागू हों इस मामले में सोवियत महिलाओं को पूरी तरह आश्वस्त किया गया था। आज सोवियत यूनियन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तमाम शाखाओं में व्यापक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं। 1928-1937 दो पंच वर्षीय योजनाओं की इस समयावधि के अन्दर कार्यरत महिलाओं की संख्या 30 लाख से बढ़कर 90 लाख तक पहुँच गई। महिलाओं के काम की प्रकृति में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं।

1897 की जनगणना के अनुसार जार के रूस में कुल कार्यरत में से 55% महिलाएं बड़े जमींदारों, पूँजीपतियों, व्यवसायियों और धनी सरकारी अफसरों की दासी के रूप में नियुक्त थी।

बड़ी-बड़ी कृषि जमींदारियों में 25% महिलाएं काम करती थीं। शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में 4% महिलाएं कार्यरत थीं और कल-कारखानों अथवा निर्माण कार्यों में 13% महिलायें नियुक्त थीं।

1936 में सोवियत यूनियन की कुल कार्यरत महिलाओं में से 39% महिलाएं बड़े उद्योगों अथवा निर्माण संस्थाओं में कार्यरत थीं। दुकानों, परिवहन, खाद्य आपूर्ति संस्थानों इत्यादि में 15% महिलाएं काम पर लगी हुई थीं। चिकित्सा और शिक्षण के पेशे में 20% महिलाएं कार्यरत थीं और मात्र 2% ही गृहस्थ कार्यों या पुराने दिनों की भाषा में 'दासी' के काम में नियुक्त थीं। बाकी बची 24% प्रतिशत महिलाएं कल-कारखानों, विज्ञान या उद्योगों की विभिन्न शाखाओं में काम करती थीं। यूएसएसआर में विशाल विशाल उद्योग, कल-कारखाने हैं जैसे लेनिनग्राद का शोरोखद जूता कारखाना। यहाँ 60% कामगार महिलाएं हैं।

उत्पादन और सामाजिक क्रियाकलाप में सक्रिय रूप से भाग लेने के क्षेत्र में महिलाओं की सहायता करने के लिए सोवियत राष्ट्र ने असंख्य नर्सरी और किण्डरगार्टन तैयार किए थे। जहाँ काम पर जाते समय माँएं बच्चों को रख कर जा सकती थी।

1937 में नर्सरियों और किण्डरगार्टनों में 18 लाख बच्चों को रखने की व्यवस्था थी। यह गणना मौसमी नर्सरियों और किण्डरगार्टनों को छोड़ कर की गई है। तीसरी योजना के अनुसार 1942 में 42 लाख बच्चों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। खेतीबाड़ी के मौसमी सामूहिक फार्मों में जो सब नर्सरी और किण्डरगार्डन तैयार किए 1937 में वहाँ 51 लाख बच्चों को रखने की व्यवस्था की गई थी।

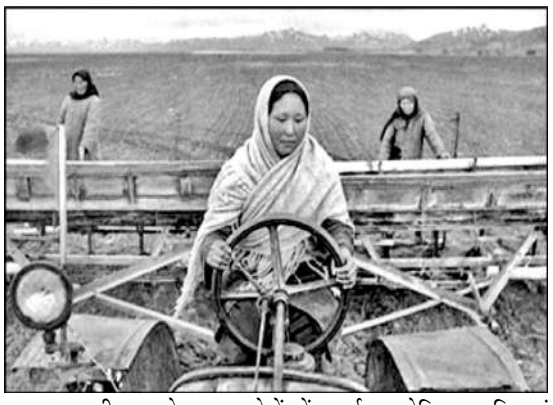

उन्नत तकनीक प्रयोग कर खेतों में कार्यरत सोवियत महिलाएं

सामुदायिक रसोई ने किया था महिलाओं के गृहकार्यों का बोझ हल्का

सामुदायिक रसोई और डिब्बा बंद खाने की व्यापक बिक्री ने भी गृहकार्य से भारी मात्रा में महिलाओं को मुक्त कर दिया था। यूएसएसआर में 30 हजार से भी ज्यादा जन खाद्य आपूर्ति संस्थाएं हैं। 1938 में वहाँ से 12 हजार करोड़ रूबल की आय हुई थी। 1939 में इसी से अनुमानित आय का परिमाण 13 हजार 50 करोड़ रूबल था।

सोवियत यूनियन में कार्यरत महिलाओं को उस देश के अन्य सभी की तरह प्रतिदिन 7 घण्टे और कहीं-कहीं 6 घण्टे काम करना होता है। पुरुष व महिला–दोनों के बारे में समान काम का समान वेतन का सिद्धांत सख्ती से मान कर चलना पड़ता है। पुरुषों की तरह ही सोवियत महिलाएं भी सवेतनिक वार्षिक छुट्टी बिताने का अवसर पाती हैं। स्वास्थ्य रक्षा की जरूरत से महिला कर्मचारी भी दूसरों की तरह ही सैनिटोरियम या विश्राम गृह में छुट्टी बिताने का अवसर पाती हैं।

अच्छी तरह कार्य को अंजाम देने अथवा विशेष कोई भी क्षमता अर्जित कर लेने पर महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाता है। युगों-युगों से 'पुरुषों का काम' के रूप में चिन्हित पेशों में भी अब महिलाओं का दखल हो गया है। क्रान्ति से पूर्व रेलवे परिसेवा के महत्त्वपूर्ण पद महिलाओं के लिए वर्जित थे। अब यूएसएसआर में 5 लाख से भी ज्यादा महिलाएं रेल व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। इनके अन्दर 400 स्टेशन मास्टर, 1400 सहायक स्टेशन मास्टर और लगभग 10 हजार रेलवे इंजीनियर और टैक्नोक्रेट हैं।

चाह और आवश्यक सांगठनिक क्षमता रहने से सोवियत यूनियन की किसी भी महिला मजदूर या सामूहिक फार्म की महिला कर्मचारी के सामने आज जिस किसी भी सोवियत संस्था का मैनेजर बनने का खुला अवसर है।

आज यूएसएसआर में महिला इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, वैज्ञानिक और प्रशासनिक उच्च अधिकारी हैं। आज कृषि व उद्योग की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है, प्रशासनिक या सरकारी काम का ऐसा कोई भी विभाग नहीं जहाँ महिलाएं काम न करती हों। सोवियत यूनियन के बड़े-बड़े उद्योगों या निर्माण सम्बंधित कार्यों में फिलहाल 1 लाख से भी ज्यादा महिला इंजीनियर और टैक्नोक्रैट नियुक्त हैं, जबकि दुनिया के अन्य तमाम देशों में महिला इंजीनियरों की कुल संख्या 10 हजार से भी कम है।

जार के रूस में महिला डाक्टर कुल 2 हजार थी। सोवियत यूनियन में अब कुल 1 लाख 32 हजार डाक्टर हैं, जिनमें आधे से ज्यादा महिलाएं हैं।

कृषि में महिला कामगारों को काम पर लगाने के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है।

सामूहिक कृषि व्यवस्था ने दी थी असल मायने में ही महिलाओं को मुक्ति

फिलहाल सामूहिक और राष्ट्रीय फार्म में लगभग 1 करोड़ 90 लाख महिला मजदूर काम करती हैं। लेकिन अब वे पहले की तरह उत्पीड़ित, पीछे रहने वाली किसान-कन्या नहीं हैं, जिनको साहित्यकार मैक्सिम गोर्की ने 'बोबा यन्त्र' कह कर चिन्हित किया था। सामूहिक कृषि व्यवस्था ने महिलाओं को असल मायने में मुक्ति दी थी। क्रान्ति से पहले रूस में किसान परिवार की लड़कियाँ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेहनत करके भी नहीं जान पाती थी कि उनका मेहनताना कितना है। अब सामूहिक फार्म की प्रत्येक कृषक नारी स्पष्ट भाषा में बोल सकती है कि परिवार के लिए उसने कितनी आमदनी की है। 1936 के आंकड़े बताते हैं कि कुल काम के 35% दिनों से भी ज्यादा सामूहिक फार्म में महिला किसानों का योगदान है।

एक काम के दिन को एक इकाई कहने से काम का कुल परिमाण समझा जाता है। प्रत्येक कार्य प्रकृति के अनुसार वह कार्य कितना कठिन, उसको करने के लिए कितनी क्षमता की जरूरत है, माटी व औजारों की हालत आदि की विवेचना करके यह कुल परिमाण निर्धारित किया जाता है। काम के कुल परिमाण के आधार पर सामूहिक फार्मों के किसानों को प्वाइण्ट दिए जाते हैं। किसान यदि कुल परिमाण से ज्यादा काम करते हैं तो उनको ज्यादा प्वाइण्ट दिए जाते हैं। फसल के अंत में सामूहिक फार्म की आमदनी को किसानों में बांट दिया जाता है। किसान अपने अपने प्वाइण्टों के अनुसार करैंसी में या समान के रूप में इस आय का हिस्सा पाते हैं।

पहले माना जाता था कि महिलाएं सिर्फ आसान काम ही कर सकती हैं। सोचा जाता था कि दरांती और फावड़े के अलावा कोई भी जटिल यंत्र उनके हाथों में नहीं दिया जा सकता है। आज सोवियत यूनियन में खेतीबाड़ी के काम में 15 लाख ट्रैक्टर और कम्बाइन चालक नियुक्त हैं। उनके अन्दर महिलाओं की संख्या कम नहीं है।

फिर भी यूएसएसआर के श्रमिक कानूनों में महिला मजदूरों की शारीरिक क्षमता की सीमा की बात को निश्चित ही ध्यान में रखा गया है। क्षमता की सीमा से बाहर कोई भी काम करने की महिलाओं को अनुमति नहीं देता है। जैसे कि 18 वर्ष से कम आयु वाले लड़के-लड़कियों को कारखानों में काम करने से सोवियत कानून वर्जित करता है क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक है। गर्भावस्था के छठे महीने से लेकर बच्चे के जन्म के बाद छह महीने तक महिला कामगारों को उनकी शिफ्ट में काम करना पूरी तरह से वर्जित है।

सामान्य वार्षिक छुट्टियों के अलावा भी महिलाओं को संतान के जन्म के 35 दिन पहले से संतान जन्म के बाद 28 दिन तक पूरे वेतन सहित छुट्टियाँ मिलती हैं। सामूहिक फार्मों की किसान महिलाएं संतान जन्म के पहले और बाद के एक महीने का मातृत्वकालीन अवकाश प्राप्त करती है। इस समय उनको मजदूरी भी दी जाती है।

गर्भवती महिलाओं को हल्का काम दिया जाता है, फिर भी उनका वेतन समान होता है। स्तनपान कराने वाली माँओं को कार्य के दौरान हर साढ़े तीन घण्टे के अंतराल में कम से कम आधे घण्टे की छुट्टी दी जाती है ताकि सटी हुई नर्सरी में जाकर बच्चे को वे दूध पिलाकर आ सकें। (क्रमशः)

स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे को सोवियत संविधान ने बना दिया था जीवंत

ऐतिहासिक नवम्बर क्रान्ति की शतवार्षिकी मनाने के वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम के सिलसिले में सर्वहारा दृष्टिकोण ने इस युगांतकारी घटना के पीछे के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का सार और इससे संबंधित ऐतिहासिक दस्तावेज प्रकाशित करने का निर्णय लिया है।

नीचे प्रस्तुत दस्तावेज प्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार अन्ना लुइस स्ट्रांग की किताब स्टालिन युग का अंश है। महान स्तालिन द्वारा पेश किए गए सोवियत संविधान का स्वागत दुनिया की तमाम नामीगिरामी शख्सियतों ने किया था। उन्होंने इसे लोगों के सपनों, आकांक्षाओं, अधिकारों व जिम्मेदारियों का सजीव मूर्तरूप पाया था। यह संविधान उन लोगों का था जो मानव सभ्यता के इतिहास के नए युग में प्रवेश कर रहे थे।

उन दिनों के सोवियत संघ के नौजवानों के उद्‌गार इन दो घटनाओं में जाहिर होते हैं। मास्को-क्लास के नव निर्मित दस-वर्षीय स्कूली पाठ्यक्रम से पहले पहल पास होकर निकलने वाली अन्ना मल्येनिक ने जून 1935 मे अपने स्कूल के विदाई समारोह मे कहा, ''जीवन अच्छा है ...ऐसे एक देश में ... ऐसे एक युग में...। हम नौजवान जो अपने देश के मालिक हैं, उनसे समय और अंतरिक्ष को जीतने का आह्वान किया गया है। विदाई भाषणों में कुछ उच्छृंखलता की छूट रहती है, लेकिन अतीत मे युवा राजाओं की प्रजा या प्रजातंत्रों के नागरिक होते थे, लेकिन समाजवाद से पहले वे कभी खुद को अपने देश जिसमे वे रहते हैं उस धरती का मालिक कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।

उसी साल नीना कामीनोवा ने माउण्ट राईनियर पर्वत के बराबर की ऊँचाई के बर्फीले स्थान से पैराशूट जंप करके विश्व रिकार्ड बनाया। नीचे जमीन पर पहुँचने के बाद उसके मुँह से निकले शब्द सोवियत नौजवानों का नारा बन गए। वे शब्द थे–''हमारे देश का आसमान विश्व का सबसे ऊँचा आसमान है।'' ... उन खुशहाल दिनों का फल नया सोवियत संविधान उन्हीं दिनों जन्मा था जो बाद में इतिहास में हमेशा के लिए अपना स्थान बना गया।

सोवियत संघ ने हमेशा डेमोक्रेटिक होने का दावा किया था। इसे पश्चिम ने हमेशा नकारा था। यहाँ पर सोवियत संघ की राजनैतिक और चुनावी व्यवस्था के अध्ययन की गहराई में जाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सोवियत चुनावों के बारे में अमरीकियों का जो भी विचार हो, सोवियत जनता उनमें भाग लेती थी कम से कम उतने ही जोशो खरोश और उम्मीद से जितना कि हम। वे न केवल उम्मीदवारों को वोट देते थे बल्कि अपनी 'मांगें' ''नाजाक'' यानी जनादेश लिखते थे जो आने वाली सरकारों के कामकाज का पहला कार्यक्रम बन जाता था।

1934 चुनावों में मेरे पति ने एक महीने तक हर शाम सीमाप्रांत के कार्यकर्त्ता के रूप में बिताई। वे अपने इलाके के हर व्यक्ति से मिलते थे और उसे बाहर आने के लिए प्रेरित करते थे और ना सिर्फ बाहर आने के लिए कहते थे बल्कि जो काम वे अपनी सरकार से कराना चाहते थे उसकी सूचीबद्ध लिस्ट के साथ आने के लिए कहते थे। उन्होंने एक बार एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया था जिसने पहले कभी वोट नहीं दिया था उसने मेरे पति से कहा–''मैं सोवियत शक्ति के किस काम की हूँ'', लेकिन फिर मेरे पति के उकसाने पर वह घर में चारों तरफ देखने लगी और अपने किचन में लटके लाण्ड्री कपड़ों को देखकर उसने तय किया और बोली कि वह सरकार से और अधिक सार्वजनिक लॉण्ड्रियों की मांग करती है। और आखिरकार उसकी वो मांग पूरी भी हुई। उस साल मॉस्को शहर की सोवियत को 48000 ''जनादेश'' मिले जिस पर उन्हें तीन महीनों के अन्दर काम करना पड़ा। बहुत सारे इनमें से बार बार दोहराए गए थे या फिर केन्द्र सरकार से संबंधित थे लेकिन बहुत सारे जनादेश बहुत ही नए और सुधरे रूप में कार्यरूप में परिणत होकर मिले। शहर की सोवियत ने कहा सारी मांगे पूरी हो सकती हैं अगर मांग रखने वाले लोग स्वयंसेवी काम करेंगे। ''सोवियत डेमोक्रेसी'' का आंकलन केवल चुनावों में वोट देने वालों की संख्या से ही नहीं हुआ –1926 में मतदाताओं की संख्या 51 प्रतिशत थी जो 1934 में बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई थी –बल्कि सरकारी कामों में मदद के लिए एक डिप्युटी द्वारा जुटाए गए स्वयंसेवकों की संख्या से हुआ है।

उदाहरण के लिए कर वसूलने और आवास मुहैय्या कराने वाले आयोगों का काफी काम स्वयंसेवकों ने किया। तीस के दशक के उत्तरार्ध में इस प्रक्रिया से जो माहौल पैदा हुआ उस पर हावर्ड के स्मिथ ने अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान कहा था–यहाँ यह सब देखकर धारणा बनती है कि यहाँ पर हर व्यक्ति खुद को महत्त्वपूर्ण समझता है और महसूस करता है कि वह राज्य के नवनिर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इस माहौल ने मुझे एक ही शब्द की याद दिलाई वह था ''डेमोक्रेसी''।

1922 संविधान के बाद हालांकि बहुत बड़े-बड़े बदलाव आए। देश की मूलभूत संपदा पर अब सामूहिक मालिकाना था। लोग अब निरक्षर नहीं रह गए थे। अपने कार्यक्षेत्र में अप्रत्यक्ष असमान मतदान बीते जमाने की बात हो गई थी। हर तरफ लोग अपने राष्ट्रीय नायकों को जानते थे और उनके लिए सीधे मतदान कर सकते थे। सन् 1935 में 6 फरवरी को सोवियतों की कांग्रेस ने यह तय किया था कि संविधान बदला जाना चाहिए और उसे देश के बदले हुए परिवेश और जीवन के अनुरूप बनाना चाहिए। 31 इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों और राजनीतिविदों के एक आयोग को स्तालिन की अध्यक्षता में एक नए संविधान का प्रारूप बनाने का निर्देश दिया गया जो जन इच्छाओं के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हो और समाजवादी राज्य के अधिक अनुकूल हो।

इसे ग्रहण करने का तरीका भी बहुत महत्त्वपूर्ण था। इस आयोग ने एक साल तक सामूहिक मकसदों के लिए संगठित होने वाले विभिन्न राज्यों और स्वयंसेवी समाजों के सभी ऐतिहासिक रूपों का अध्ययन किया।

उसके बाद प्रयोगात्मक रूप से एक प्रस्तावित ड्राफ्ट जून 1936 में सरकार द्वारा अनुमोदित हुआ जिसकी साठ लाख प्रतियाँ लोगों में वितरित की गई। इस पर 527000 मीटिगों में चर्चा हुई जिसमें 36 लाख लोगों ने भाग लिया। महीनों तक प्रत्येक समाचार पत्र लोगों की चिट्ठयों से भरा रहता था। लगभग 154000 संशोधन प्रस्तावित हुए जिनमें से कई यद्यपि दोहराए गए थे और कई संविधान की अपेक्षा कानूनी कोड के दायरे के लायक थे। इस लोकप्रिय पहलकदमी से अंतत: वास्तविक रूप में 43 संशोधन किए गए।

क्रेमलिन पैलेस के महान व्हाइट हाल में दिसम्बर 1936 में 2016 डेलिगेट 'संवैधानिक सम्मेलन' के लिए इकट्ठा हुए। यह उन ''नए लोगों'' की कांग्रेस थी जो उद्योग, कृषि विज्ञान के कामों में प्रमुखता के साथ उभर कर आये थे। किसान आए थे जो अब अनाज उत्पादक के सामान्य संबोधन से दर्ज नहीं किए गए बल्कि विशेषज्ञों के रूप में दर्ज किए गए। ट्रैक्टर ड्राइवर, कंबाइन ऑपरेटर और अधिकांश वे लोग जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में रिकार्ड बनाए थे। इनमें से कई वे थे जो बड़े औद्योगिक प्लाण्टों के निर्देशक थे, प्रसिद्ध कलाकार थे, सर्जन तथा विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष थे। ऐसा था दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम दौर का सोवियत यूनियन का प्रतिनिधित्व। संविधान देश में होने वाले बदलावों को प्रतिबिंबित करता था। यह राज्य के स्वरूप और संपत्ति के आधारभूत प्रकारों से शुरू हुआ था। जमीनी संसाधन, उद्योग अब राज्य की संपत्ति थे जो जनता की सामूहिक सम्पत्ति थे। सामूहिक फार्मों की सहकारी संपत्ति, नागरिकों की व्यक्तिगत संपत्ति, उनकी आय, उनके घर-मवेशी सब कानून द्वारा संरक्षित थे। चुनाव की प्रक्रिया सार्वभौमिक, प्रत्यक्ष, समान और गुप्त मतदान के द्वारा थी जिसमें अठारह साल से अधिक उम्र के सभी नागरिक भाग लेते थे।

'नागरिकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों'' के अनुच्छेद की हर धारा पर लोगों ने जोरदार करतल ध्वनि की। यह नागरिकों के अधिकारों की अत्यंत लम्बी-चौड़ी सूची थी जो अब तक किसी राष्ट्र द्वारा सुनिश्चित किए गए थे। जीवन जीने के अधिकार को चार प्रमुख शीर्षकों द्वारा कवर किया गया था– काम करने का अधिकार, फुर्सत में आनन्द उठाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भौतिक समर्थन का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को छह पैराग्राफों में विस्तृत किया गया था। इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता, पूजा-पाठ की स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बेवजह गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, घर की अनुलंघ्घनीयता और पत्र व्यवहार का अधिकार जो हर राष्ट्रीयता या नस्ल के मनुष्यों के लिए समान थी।

यह संविधान जर्मनी में सत्तासीन नाजी-फासीवाद के लिए एक सीधी चुनौती था। नाजी उस वक्त डेमोक्रेसी को घिसा-पिटा पुराना बता रहे थे और सभी सोवियत वक्ताओं ने समाजवाद और जनतंत्र का स्वागत किया था और उसे अजेय बताया था। हिटलर जिस समय ऊँची और नीची नस्लों के बारे में उपदेश दे रहा था, उस समय स्तालिन ने मानव जाति की समानता के बारे में वक्तव्य देकर जैसे हिटलर के नस्लवाद पर झाड़ू फेर दी थी। उन्होंने कहा था– न तो भाषा, न चमड़ी का रंग, न सांस्कृतिक पिछड़ापन, न ही राजनैतिक विकास का स्तर – राष्ट्रीय और जातीय असमानता और भेदभाव को न्यायसंगत ठहरा सकता है। सोवियत संघ में बर्फीली सर्दी से भरी सड़कों पर दस लाख लोग इस समारोह के स्वागत में बैण्ड लेकर जमा हुए थे। समूचे विश्व के प्रगतिशील लोगों ने इसका स्वागत किया था। श्रीमती सुन यात सेन ने सुदूर चीन से कहा था कि यह मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोमां रोला ने जिनेवा की शांत झील के इलाके से कहा था कि इसने जो नारे अब तक मानव सभ्यता के लिए स्वप्न थे, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जैसे उन नारों को नया जीवन दिया है।

महान नवम्बर क्रान्ति शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में छात्रों की बैठक आयोजित

गंगटोक (सिक्किम) : रूस की महान नवम्बर क्रान्ति के शताब्दी वर्ष समारोह की कड़ी के रूप में यहां एआईडीएसओ द्वारा 14 मार्च को कार्ल मार्क्स स्मृति दिवस पर एक बैठक की गई। इसमें तादोंग गवर्नमंट कॉलेज, गंगटोक और सिक्किम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भाग लिया। एआईडीएसओ (सिक्किम) के कोषाध्यक्ष भानुभक्त और एआईडीएसओ (सिक्किम) के संयोजक शंकर ने कार्ल मार्क्स को श्रद्धांजली दी। संगठन के कार्यकारिणी सदस्य रूपेन ने कार्यक्रम का संचालन किया। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) की पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य कॉ. सौरभ मुखर्जी मुख्य वक्ता थे। उन्होंने विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स की कुछ शिक्षाओं का जिक्र किया और दिखाया कि मार्क्सवाद का प्रयोग करते हुए रूस में लेनिन ने नवम्बर समाजवादी क्रान्ति की थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सिक्किम सहित पूरे भारत में सामाजिक, आर्थिक व सांस्वृतिक क्षेत्र की समस्याएं मार्क्सवाद-लेनिनवाद शिवदास घोष चिन्तनधारा को प्रयोग करते हुए पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रान्ति करके ही हल हो सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गान के साथ बैठक समाप्त हुई।

किसानों का कृषि मंत्री आवास पर प्रदर्शन

झज्जर में कृषि मंत्री के आवास पर रोष प्रदर्शन करते हुए किसान

झज्जर (हरियाणा) : ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन(एआईकेकेएमएस) के बैनर तले प्रदेश भर से आये सैकड़ों किसान-खेतमजदूरों ने श्रीराम शर्मा पार्क से कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ के स्थानीय कार्यालय तक जुलूस निकाला और कृषि मंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यालय प्रभारी को सौंपा। प्रदर्शन की अगुआई संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह मातनहेल, राज्य सचिव कॉ. जयकरण मांडौठी, उपप्रधान कॉ. बाबूराम व विजय कुमार ने की। जुलूस चलने से पहले पार्क में हुई सभा को रेवाड़ी से रामकुमार, भिवानी से रोहतास, जिले सिंह, हिसार से सूरत सिंह, महेन्द्रगढ़ से बलबीर सिंह, कुरूक्षेत्र से राजकुमार, सोनीपत से रामकरण, झज्जर से करतार सिंह, जींद से देवीराम और करनाल से करतार सिंह मलिक ने सम्बोधित किया। किसान नेताओं ने मंत्री महोदय को शासन में आने से पहले खुद द्वारा उठाये गये नुकतों की भी याद दिलाई।

वक्ताओं ने कहा कि खेती में लागत खर्च बढ़ने और फसलों के लाभकारी दाम न मिलने से खेती घाटे का सौदा हो गई है। इससे किसानों की दुर्दशा हो रही है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि पर आने वाले लागत खर्च का 50 प्रतिशत लाभकारी दाम देने का वादा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने यह वादा भुला दिया। सरकारी खजाने से फसल खराबे का मुआवजा देना बंद कर दिया। फसल बीमा योजना प्राइवेट कम्पनियों के हवाले कर दी गई जो जमा किस्ते भी खा गई और मुआवजा नहीं दिया। समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद करने की बजाय किसानों को अपना बाजार खुद तलाशने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने नहरों में पानी में कटौती कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद डीजल के दाम बेहद बढ़ा दिये हैं। रद्द किये हुए सेज की जमीन किसानों को वापस देने की बजाय उल्टे गांव सामलात व पंचायती भूमि छीन कर प्राइवेट कम्पनियों को देने पर उतारू है। किसानों के कर्जे माफ नहीं किये जबकि बैंकों के लाखों करोड़ रुपये मारे बैठे उद्योगपतियों व पूंजीपतियों के कर्जे बट्टे खाते में डाल दिये। मनरेगा स्कीम को प्राय: ठप्प कर दिया है और कोई रोजगार सृजन नहीं किया जा रहा है। अब सन 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी करने का मात्र कोरा आश्वासन दिया जा रहा है।

ज्ञापन में सभी फसलों के लागत खर्च से 50 प्रतिशत अधिक लाभकारी मूल्य देने, फसल खराबे का मुआवजा सरकारी खजाने से 50,000 रुपये प्रति एकड़ देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्राइवेट कम्पनियों को बाहर करने, इसे किसान-हितैषी बनाने, बीमा शुल्क सरकार द्वारा दिये जाने, डीजल के दाम आधे करने, नये बांध बनाकर नहरें निकालने व हर खेत को पानी देने, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, घोषित भूमि अधिग्रहण की ताजा नीति रद्द करने, रद्द किये गये सेज की जमीन किसानों को वापस देने की मांग की गई।

नलिया बलात्कार मामले में इन्साफ देने के लिए उठी आवाज

अहमदाबाद (गुजरात) : नलिया बलात्कार काण्ड के खिलाफ 16 फरवरी को महिला संगठनों, कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियन कर्ता और नागरिक इकट्ठे हुए और नलिया काण्ड पर फोरम ऑफ कनसर्न्ड सिटीजन का गठन किया। फोरम ने 19 फरवरी को सभी विधायकों को खुला पत्र लिखकर विधानसभा के अन्दर और बाहर निर्भयाओं' के लिए इन्साफ की मांग की, नलिया काण्ड की जांच करने के लिए 20 फरवरी को एक टीम मौके पर भेजी गई। जिसकी रिपोर्ट 27 फरवरी को प्रेस कान्फ्रेंस कर सार्वजनिक की गई।

घटना की जल्द और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भारत के माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री व राज्यपाल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को ज्ञापन स्पीड पोस्ट से भेजे गये। 8 मार्च को जन सभा व रैली करने से सिटी पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया। अत: नागरिक सभा कर नलिया मामले में इन्साफ देने और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम करने की मांग की गई।

आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी मांगों के लिए किया प्रदर्शन

महुआ, वैशाली (बिहार) : 2 मार्च को बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका कर्मचारी यूनियन महुआ अनुमंडल की ओर से 11 सूत्री मांगों के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय महुआ पर आक्रोश भरा प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व सावित्री कुमारी, मुन्नी कुमारी एवं रुकमणी कुमारी ने किया। सैकड़ों आंगनवाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने इसमें शिरकत की।

यूनियन की बिहार राज्य महामंत्री अनामिका की अध्यक्षता में सभा हुई। सभा को एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉ. सूर्यकर जितेन्द्र ने सम्बोधित किया। यूनियन की तरफ से मांगों का ज्ञापन एसडीओ, महुआ को सौंपा गया जिन्होंने इसे केन्द्र सरकार के पास भेजने का आश्वासन दिया।

ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर

किसानों ने सौंपा ज्ञापन

तोशाम (हरियाणा) : भिवानी जिला के तोशाम तहसील क्षेत्र के बहुत सारे गांवों में हुई भारी ओलावृष्टि से सरसों, चना व गेहूं आदि की फसलों को हुए भारी नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर पर्याप्त मुआवजा देने की मांग को लेकर ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन(एआईकेकेएमएस) के बैनर तले 10 मार्च को किसानों ने तहसील कार्यालय तक जुलूस निकाला और एसडीएम तोशाम श्री देवीलाल सिहाग को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन की अगुआई संगठन के जिलाध्यक्ष कॉमरेड जिले सिंह, जिला सचिव कॉ. रोहतास सिंह सैनी ने की।

तोशाम : एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए किसान

कान्ट्रेक्ट एम्प्लाइज का राष्ट्रीय सेमिनार

दिल्ली : ज्वाइंट फोरम ऑफ कान्ट्रेक्ट एम्प्लाइज दिल्ली राज्य की तरफ से 6 मार्च को 'स्वास्थ्य क्षेत्र में एड्होक व अनुबंधित कर्मचारी व मॉडल नियोक्ता के नाते सरकार की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार किया गया। दिल्ली के बीचोंबीच स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सभागार में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों ने भाग लिया। सेमिनार को एआईयूटीयूसी के दिल्ली राज्य अध्यक्ष हरीश त्यागी ने सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारें चाहे वे जिस किसी भी पार्टी की क्यों न हों, ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही हैं। रिक्त पदों को नियमित आधार पर नहीं भरा जा रहा हैं। छठे वेतन आयोग ने ग्रुप डी को खत्म कर दिया था, अब ग्रुप डी के सभी काम ठेके पर कराये जा रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें मूल नियोक्ता होते हुए भी खुद कानून का उल्लंघन कर रही हैं। वे देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों का भी पालन नहीं कर रही हैं। सरकार की इन कर्मचारी-विरोधी नीतियों का बदलवाने के लिए आन्दोलन ही एकमात्र रास्ता है। सभी क्षेत्रों के अनुबंधित कर्मचारियों को ठेका प्रथा और अधिकारियों द्वारा ठेका कर्मचारियों के किये जा रहे शोषण व धमकियों के खिलाफ और समान काम का समान वेतन देने व नियमित करने की मांग को लेकर सबको मिल कर लड़ना होगा। एआईयूटीयू की ओर से इस आन्दोलन में पूरा साथ देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने अपनी बात समाप्त की।

सेमिनार को ज्वाइंट फोरम के महासचिव गुलाब रब्बानी, अध्यक्ष अशोक कुमार, महामंत्री नियाज अहमद, साहिब सिंह, उमाकांत शर्मा और उदित कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महासचिव गुलाब रब्बानी ने कहा कि फोरम शीघ्र ही आन्दोलन की रूपरेखा तैयार कर संघर्ष का ऐलान करेगा।

टूटी-फूटी सीवर लाइन की मरम्मत व साफ पेयजल की उपराज्यपाल से की गुहार

रामपुरा (दिल्ली) : टूटी-फूटी सीवर लाइन व गंदा पानी पीने को मजबूर लोग रामपुरा जनसंघर्ष समिति के तहत महीने भर से आंदोलन की राह पर हैं। हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन देकर अधिशासी अभियंता, नार्थ दिल्ली एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री जितेन्द्र सिंह तोमर आदि को समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। परंतु कोई भी कार्रवाई न होने पर 10 मार्च को उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा तथा गली निर्माण, सीवर पाईप लाइन व पीने के पानी की समस्या तुरंत हल करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की।

इस आंदोलन की अगुवाई में प्रेमराज सैनी, नवीन सैनी, ओमप्रकाश वर्मा, नरेश सैनी, दीपक गुप्ता, जुगल किशोर, अमित गोयल, सुभाष गोयल आदि ने की।

6 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly

सर्वहारा दृष्टिकोण

23 मार्च से 6 अप्रैल 2017

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी मुक्ति संघर्ष तेज करने का लिया संकल्प

पटना (बिहार) : 8 मार्च –अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) पटना जिला कमिटी की ओर से महिलाओं का मार्च निकाला गया। जुलूस गांधी मैदान स्थित जे. पी. गोलम्बर से प्रारंभ हुआ, जो शहीद भगत सिंह चौक पर समाप्त हुआ। जुलूस में महिलाएं मांगों की तख्तियां लिए हुए '8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिन्दाबाद', 'महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ', 'अश्लील सिनेमा-साहित्य के प्रचार-प्रसार पर रोक लगाओ', 'अश्लीलता-नग्नता पर रोक लगाओ', 'महंगाई पर रोक लगाओ', 'स्कूल-कॉलेजों में छात्राओं की सुरक्षा की गारंटी करो', 'स्कूल-कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस कोर्स लागू करो' आदि नारे लगा रही थीं।

भगत सिंह चौक पर आयोजित सभा को सम्बोधित करती हुई ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की बिहार राज्य सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है जब देश भर में और अपने सूबे में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है। छेड़छाड़, एसिड थ्रोइंग, अपहरण, नारी देह व्यापार, सेक्स रैकेट, सैक्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी खबरे भी प्रकाश में आ रही हैं कि सत्ताधारी नेताओं के लोगों द्वारा भी सेक्स रैकेट चलाये जा रहे हैं। महिलाएं बाहर ही नहीं, आज वे अपने घर में भी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमले हो रहे हैं, जिसका जीता-जागता उदाहरण गुरमेहर कौर को उसकी अभिव्यक्ति पर उसे बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है।

श्रीमती मिश्रा ने कहा कि आज महिलाएं एक तरफ पुरुष प्रधान समाज तथा दूसरी तरफ शोषण पर आधारित पूंजीवादी समाज के दोहरे शोषण की शिकार हैं। रूसी क्रांति के बाद महिलाओं के जीवन में आयी हैरतअंगेज तरक्की और समाज निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके कारनामे की चर्चा करते हुए श्रीमती मिश्रा ने कहा कि महिलाओं की मुक्ति बगैर क्रांति के संभव नहीं है।

सभा की अध्यक्षता संगठन की अध्यक्ष सुनीता देवी ने की तथा संचालन नम्रता ने किया। सभा को इन्दु कुमारी, रेणु कुमारी, सीमा देवी, रेखा देवी आदि ने भी सम्बोधित किया। सभा के अंत में नम्रता और शिमला मौर्य ने 'औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जायेगा' तथा 'हो जाओ तैयार साथियो' आदि गीत प्रस्तुत किये।

मुरादाबाद (उ.प्र.) : 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की जिला इकाई की ओर से स्थानीय बुद्धि विहार सेक्टर-2 में महिलाओं की सभा की गई। संगठन की उपाध्यक्ष रूबी खान ने सभा की अध्यक्षता की। संचालन बबीता ने किया।

सभा की शुरूआत में संगठन की सदस्या मंजू मेहता ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने, प्रचार माध्यमों से फैलायी जा रही अश्लीलता पर रोक लगाने, पूर्ण शराबबंदी लागू करने, 8 मार्च को महिलाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की गई। सर्वसम्मति से पारित यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा गया।

वक्ताओं ने कहा कि यह दिन अन्याय और गैरबराबरी के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यह उन महिलाओं की कुर्बानी की हमें याद दिलाता है जिन्होंने 8 मार्च 1908 के दिन न्यूयार्क (अमेरिका) की बर्फीली ठंड में अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। जानी-मानी समाजवादी नेत्री कलारा जेटकिन ने महिलाओं के इन बलिदानों को चिरस्मरणीय बनाये रखने के लिए 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था।

सभा को सुनीता आहलूवालिया, कमलेश चाहल, भावना सिंह, बीना यादव, अंशु सक्सेना, कुलविन्दर कौर आदि ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित बुद्धि विहार निवासी तथा सम्भल के असमौल विकास खण्ड की बीईओ बबीता सिंह का भी माला पहना कर सम्मान किया गया। इस अवसर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिपि सिंह ने 'एक बेटी की दशा', आदिति सक्सेना ने नृत्य, चरिश्मा की कविता 'मां', अंशिका सक्सेना ने 'मां सुनाओ एक कहानी', पण्य ने 'रोज सुबह' उपसना राजपूत ने 'कोमल है कमजोर नहीं', अरुष ने 'बचपन क्या जमाना था' कविता सुनायी।

जमशेदपुर (झारखण्ड) : 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की ओर से देश भर में सेमिनार, जुलूस, प्रदर्शन, कार्यशालाएं, धरने आदि आयोजित किये गये। इस अवसर पर एआईएमएसएस, पूर्वी सिंहभूम जिला कमिटी की ओर से साकची गोलचक्कर पर एक दिवसीय धरना दिया गया।

आदित्यपुर (झारखण्ड) : 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय

महिला दिवस के अवसर पर ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की जिला इकाई की ओर से आदित्यपर स्थित जिला सरायकेला खरसवा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर उपस्थित थी एसयूसीआई(सी) की जिला प्रभारी व मुख्य वक्ता लिली दास, मुख्य अतिथि डीएवी स्कूल की शिक्षिका मनीषा सिन्हा, एआईएमएसएस की राज्य उपाध्यक्ष मालती देवी, तारा ठाकुर आदि। मंच संचालन अंजना भारती ने किया।

चाण्डिल बाजार (झारखण्ड) : 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर चाण्डिल बाजार जिला सरायकेला खरसवा में एक विशाल जुलूस निकाला गया और अनुमण्डल पदाधिकारी चांडिल को ज्ञापन सौंपा गया। जुलूस का नेतृत्व एआईएमएसएस की राज्य कमेटी सदस्या दुखनी मांझी, जोबा महतो, सुलोचना माझी, तुष्ट मछुआ, अनुराधा महतो आदि ने किया। वहां हुई सभा को एसयूसीआई(सी) की जिला इंचार्ज कॉ. लिली दास ने सम्बोधित किया।

रोहतक (हरियाणा) : 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से स्थानीय मानसरोवर पार्क में महिलाओं की राज्य स्तरीय सभा की गई। सभा की मुख्य वक्ता संगठन की दिल्ली राज्य सचिव रितु कौशिक थी और संचालन संगठन की प्रदेश संयोजक प्रीतिलता ने किया। सभा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई।

महिला सभा में भारत सरकार द्वारा हाल ही में रसोई गैस की बढ़ाई गई दरों के विरोध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर इस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की गई। हरियाणा सरकार से प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों, शहर-देहात में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की रोकथाम करने, छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, शराब का फैलाव रोकने, शिक्षा व नौकरी सर्वसुलभ करने, समान काम का समान वेतन देने की मांग की गई। ललिता मेमोरियल अस्पाल रेवाड़ी की डाक्टर सीमा मित्तल का लिखित सन्देश पड़कर सुनाया गया। उन्होंने नारी भ्रूणहत्या को रोकने का आह्वान किया था।

मुख्य वक्ता रितु कौशिक ने अपने सम्बोधन में कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों और अपराधों ने सारी हदें पार कर दी हैं। महिलाएं दोहरे शोषण की शिकार हैं। स्त्री-पुरुष समान नहीं समझे जाते हैं। नारी को भोग की वस्तु, दोयम दर्जे की नागरिक समझा जाता है। पूंजीपतियों ने अपना माल बेचने और भारी मुनाफा कमाने के लिए विज्ञापनों के जरिये नारी देह को नुमाईश की चीज बनाया हुआ है। सरकार खुद धड़ाधड़ शराब बेच रही है। इस सब के खिलाफ उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने और हर संस्था, गांव और शहर में एआईएमएसएस को मजबूत बनाने और नारी मुक्ति के अपने संघर्ष को तेज करने का आह्वान किया।

सभा को भिवानी से कृष्णा, सुनीता व रफीकन, रोहतक से सविता, रामरती व सीमा, सोनीपत से बिमला, रेवाड़ी से सन्तोष व जिला पार्षद नीतू चौधरी, करनाल से शीला ने भी सम्बोधित किया।

जबलपुर (म.प्र.) : 8 मार्च को ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की ओर से स्थानीय हितकारिणी महिला महाविद्यालय, सिटी कॉलेज के सभागृह में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय था :''वर्तमान में स्त्रियों की दशा : कारण व समाधान''। विचार गोष्ठी में कॉलेज की प्रोफेसरों, छात्राओं ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये। सभा की शुरूआत में संगठन की जिला अध्यक्ष चन्द्रा पात्रा ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास व प्रासंगिकता पर चर्चा की।

सभा की मुख्य वक्ता संगठन की राज्य उपाध्यक्ष संगीता आर. बी. ने वर्तमान में उस समय के संघर्ष से मिले अधिकार को बरकरार रखने और आज अश्लीलता, नशाखोरी के कारण महिलाओं व बच्चियों पर हो रहे हमले को रोकने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की। सभा की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्या डॉ. श्रीमती मुकुल तिवारी ने की। संचालन कॉलेज के स्पोर्ट्स विभाग के प्रभारी श्री संजय राठौर ने किया। विचार गोष्ठी में प्रोफेसर डॉ. सुनीता श्रीवास्तव, श्रीमती वंदना जैन, श्रीमती सरिता झा एवं छात्रा कु. किरण नायडू, सुरभी कश्यप, प्राची तिवारी ने भी अपने विचार रखे।

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) की श्रीमती संगीता आर.बी. ने महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराधों और नशाखोरी रोकने की मांग की।

नई सभ्यता का सूर्योदय

– मुंशी प्रेमचंद

हिन्दी के जाने-माने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेख 'महाजनी सभ्यता' में रूस की समाजवादी व्यवस्था का तहेदिल से अभिनंदन करते हुए लिखा था :

''.... परन्तु अब नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूँजीवाद की जड़ें खोदकर फेंक दी हैं। जिसका मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत का बाप-दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतिततम प्राणी है। उसे राज्य-प्रबन्ध में राय देने का हक नहीं और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं। महाजन इस नई लहर से अति उद्विग्न होकर बोख़लाया हुआ फिर रहा है और सारी दुनिया में महाजनों की शामिल आवाज़ इस नई सभ्यता को कोस रही है, उसे शाप दे रही है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य, धर्म-विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा के आदेश पर चलने की आजादी वह इन सबकी घातक, गला घोंट देने वाली बताई जा रही है। उस पर नये-नये लांछन लगाये जा रहे हैं, नयी-नयी हुरमतें तराशी जा रही हैं। वह काले-से-काले रंग में रंगी जा रही है, कुत्सित-से-कुत्सित रूप में चित्रित की जा रही है। उन सभी साधनों से, जो पैसे वालों के लिए सुलभ हैं, काम लेकर उसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है; पर सच्चाई है जो इस सारे अंधकार को चीरकर दुनिया में अपनी ज्योति का उजाला फैला रही है।

निस्संदेह इस नई सभ्यता ने व्यक्ति-स्वातंत्र्य के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिये हैं। उसके राज्य में अब एक पूँजीपति लाखों मजदूरों का खून पीता रहकर मोटा नहीं हो सकता। उसे अब यह आजादी नहीं कि अपने नफ़े के लिए साधारण आवश्कताओं की वस्तुओं के दाम चढ़ा सके, अपने सड़े-गले माल की खपत कराने के लिए युद्ध कर दे, गोला-बारूद और युद्ध-सामग्री बनाकर दुर्बल राष्ट्रों का दलन कराए। अगर इसकी स्वाधीनता है तो निस्संदेह नई सभ्यता में स्वाधीनता नहीं। पर यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जनसाधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ-सुथरे गाँव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली पंखे और रोशनी और सस्ते सद्य:सुलभ न्याय की प्राप्ति हो, तो इस समाज-व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आजादी है, वह दुनिया की किसी सभ्यतम कहाने वाली जाति को भी सुलभ नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ अगर पुरोहितों, पादरियों, मुल्लाओं की मुफ्तखोर जमात के दंभमय उपदेशों और अंधविश्वास-जनित रूढ़ियों का अनुसरण है, तो निस्संदेह वहाँ इस स्वतंत्रता का अभाव है, पर धर्म-स्वातंत्र्य का अर्थ यदि लोक-सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेकनीयत, शरीर और मन की पवित्रता है तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है, और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते। जहाँ धन की कमी-बेशी के आधार पर असमानता है, वहाँ ईर्ष्या-द्वेष, जोर-जबर्दस्ती, बेईमानी, झूठे, मिथ्या अभियोग-आरोप, वेश्या-वृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयाँ अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। जहाँ धन का आधिक्य नहीं, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में हैं, वहाँ जलन क्यों हो, और जब्र क्यों हो? सतीत्व-विक्रय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो? झूठे मुकदमे क्यों चलें और और चोरी-डाके की वारदातें क्यों हों? ये सारी बुराइयाँ तो दौलत की देन हैं, पैसे के प्रसाद हैं, महाजनी सभ्यता ने ही इनकी सृष्टि की है। वही इनको पालती है और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित और विजित हैं, वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहें। उनकी ओर से तनिक भी विरोध-विद्रोह का भाव दिखाया गया, तो उनका सिर कुचलने के लिए पुलिस-अदालत है, काला पानी है। आप शराब पीकर उसके नशे से बच नहीं सकते। आग लगाकर चाहें कि लपटें न उठें, असंभव है। पैसा अपने साथ ये सारी बुराइयाँ लाता है, जिन्होंने दुनिया को नरक बना दिया है। इस पैसा-पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयाँ अपने आप मिट जायेंगी, जड़ न खोदकर केवल फुनगी की पत्तियाँ तोड़ना तो बेकार है। यह नई सभ्यता धनाढ्यता को हेय और लज्जाजनक तथा घातक विष समझती है। वहाँ कोई आदमी अमीरी ढंग से रहे तो लोगों की ईर्ष्या का पात्र नहीं होता, बल्कि तुच्छ और हेय समझा जाता है। गहनों से लदकर कोई स्त्री सुन्दर नहीं बनती, घृणा की पात्र बनती है। साधारण जन-समाज से ऊँचा रहन-सहन रखना वहाँ बेहूदगी समझी जाती है। शराब पीकर वहां बहका नहीं जा सकता, अधिक मद्यपान वहाँ दोष समझा जाता है—धार्मिक दृष्टि से नहीं, किन्तु शुद्ध सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि शराबखोरी से आदमी में धैर्य और कष्ट-सहन, अव्यवस्था और श्रमशीलता का अंत हो जाता है।

हाँ, इस समाज-व्यवस्था ने व्यक्ति को यह स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन-साधारण को अपनी महत्वाकांक्षाओं की वृप्ति का साधन बनाये और तरह-तरह के बहानों से उनकी मेहनत का फायदा उठाये, या सरकारी पद प्राप्त करके मोटी-मोटी रकमें उड़ायें और मूछों पर ताव देता फिरे। वहां ऊँचे-से-ऊँचे अधिकारी की तनख्वाह भी उतनी ही है, जितनी एक कुशल कारीगर की। वह गगनचुम्बी प्रासादों में नहीं रहता, तीन-चार कमरों में ही उसे गुजर करनी पड़ती है। उसकी श्रीमतीजी रानी साहिबा या बेगम बनी हुई स्कूलों में इनाम बांटती नहीं फिरती; बल्कि अक्सर मेहनत-मजदूरी या किसी अखबार के दफ्तर में काम करती हैं। सरकारी पद पाकर व्यक्ति अपने को लाट साहब नहीं, बल्कि जनता का सेवक समझता है। महाजनी सभ्यता का प्रेमी इस समाज-व्यवस्था को क्यों पसन्द करने लगा जिसमें उसे दूसरों पर हुकूमत जताने के लिए सोना-चांदी के ढेर लगाने की सुविधा नहीं। पूँजीपति और जमींदार तो इस सभ्यता की कल्पना से ही कांप उठते हैं। उनकी जूड़ी का कारण हम समझ सकते हैं। पर जब वे लोग भी जो अनजाने में महाजनी सभ्यता का समर्थन कर रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ाने और उस पर फबतियाँ कसने लगते हैं, तो हमें उनकी इस दास-मनोवृत्ति पर हँसी आती है। जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सौंदर्य-बोध है, वह कभी ऐसी समाज-व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता, जिनकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो। ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की सम्पत्ति दी है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन-समाज की सेवा में लगाओ, यह नहीं कि उससे जन-समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ।

धन्य है वह सभ्यता, जो मालदारी और व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत कर रही है, और जल्दी से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी। यह सभ्यता अमुक देश की समाज-रचना अथवा धर्म-मजहब से मेल नहीं खाती या उस वातावरण के अनुकूल नहीं है —यह तर्क नितांत असंगत है। इसाई मज़हब का पौधा यरूशलम में उगा और सारी दुनिया उसके सौरभ से बस गई। बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में जन्म ग्रहण किया और आधी दुनिया ने गुरू-दक्षिणा दी। मानव-स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है। छोटी-मोटी बातों में अंतर हो सकता है, पर मूल-स्वरूप की दृष्टि से सम्पूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं। जो शासन-विधान और समाज-व्यवस्था एक देश के लिए भी कल्याणकारी है, वह दूसरे देशों के लिए भी हितकर होगी। हाँ, महाजनी सभ्यता और उसके गुरगे अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में भ्रमजनक बातों का प्रचार करेंगे, जन-साधारण को बहकावेंगे, उनकी आंखों में धूल झोकेंगे, पर जो सत्य है एक-न-एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी।''

वाम दलों का संयुक्त प्रदर्शन

जमशेदपुर (झारखण्ड) : झारखण्ड में भाजपा सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई भारी बढ़ोतरी और सरकार द्वारा अब खुद ही शराब बेचने के फैसले के खिलाफ 16 मार्च को वाम दलों, सीपीआई, सीपीआई(एम), एसयूसीआई(सी) व भाकपा माले जमशेदपुर में डीसी आफिस पर प्रदर्शन किया गया।

भवन निर्माण कारीगर-मजदूरों के ब्लॉक सम्मेलन सम्पन्न

कलानौर (हरियाणा) : 6 मार्च को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा (रजि. नं. 1845) का कलानौर ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन स्थानीय इन्दिरा पार्क में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में ब्लॉक के अनेक गाँवों से महिलाओं सहित बड़ी संख्या में मजदूर-मिस्त्रियों ने जोश-खरोश के साथ भाग लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता केशुराम ने की। संचालन जगदीश चंद्र, जिला सचिव ने किया। सम्मेलन को मुख्य वक्ता यूनियन के प्रांतीय प्रधान कॉमरेड रामफल ने सम्बोधित किया। इसके बाद यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार, कलानौर को सौंपा।

ज्ञापन में मांग की गई कि लेबर महकमा मजदूरों तक पहुंच कर सबका खुद रजिस्ट्रेशन करे, रजिस्ट्रेशन व बेनीफिट पाने की प्रक्रिया आसान करे, बोर्ड का ढांचा तैयार किया जाये और पर्याप्त संख्या में स्टाफ भर्ती किया जाये ताकि सभी हितलाभों का भुगतान 1 महीने में किया जा सके, किये हुए काम की मजदूरी मारने वालों के खिलाफ सख्त फौजदारी कानून बनाया जाये, चोट लगने पर पूरा इलाज व हर्जाखर्चा दिया जाये, मृत्यु होने पर परिवार को 11 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, नरेगा के जॉब कार्ड बनाये जायें, सारा साल काम दिया जाये व 500 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाये, प्रवासी मजदूर कानून लागू हो, सरकारी दुकान खोल कर जरूरी चीजें सस्ते रेट पर सभी परिवारों को दी जायें, देहात में 100 गज व शहर में 60 गज का रिहायशी प्लाट और 5 लाख रुपये मकान बनाने का अनुदान दिया जाये, लेबर चौकों पर शैल्टरों का निर्माण किया जाये जहां पेयजल व शौचालयों की व्यवस्था हो, प्रत्येक केन्द्रीय ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधि भवन निर्माण व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में लिया जाये।

सम्मेलन में सर्वसम्मति से नई 5 सदस्यीय ब्लॉक कमेटी चुनी गई जिसके जिला प्रधान केशुराम काहनौर और ब्लॉक सचिव कृष्ण कुमार चुने गये। सम्मेलन में भवन निर्माण कर्मियों ने नोटबंदी से चिनाई का काम मंदा पड़ने पर रोष प्रकट किया।

सांपला (हरियाणा) : 9 मार्च को एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा (रजि. नं. 1845) का सांपला ब्लॉक सम्मेलन काठ मंडी में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जगदीश चंद्र ने की। संचालन यूनियन के जिला प्रधान राजकुमार ने किया। सम्मेलन को मुख्य वक्ता केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के प्रांतीय प्रधान कॉमरेड सत्यवान ने सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि ज्यादातर मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो पाया है और वे हितलाभों से वंचित हैं। पूरे साल काम नहीं मिलता है। ठेकेदारों की मनमानी पर रोक नहीं हैं। इन सब समस्याओं को सरकार के समक्ष बार-बार रखा गया है लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। सम्मेलन में सर्वसम्मति से नई 9 सदस्यीय ब्लॉक कमेटी चुनी गई जिसके जिला प्रधान सुन्दर दतौड़ और ब्लॉक सचिव राजकुमार चुने गये।

इसके बाद यूनियन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Publication : March 20, 2017

सर्वहारा दृष्टिकोण

23 मार्च से 6 अप्रैल 2017

मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मनरेगा मजदूर

प्रदर्शन कर सरकार से मांगा रोजगार

भिवानी : (हरियाणा) : 15 मार्च को मनरेगा मजदूरों की ज्वलंत मांगों को लेकर एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले लघुसचिवालय पर जिला स्तरीय जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त, भिवानी की अनुपस्थिति में एडीसी की मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में जिले के विभिन्न गांवों से आये सैकड़ों मजदूर शामिल हुए जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थी। प्रदर्शन से पहले मनरेगा मजदूर स्थानीय दिनोद गेट स्थित श्रीचेतराम प्रजापति धर्मशाला में इकट्ठे हुए। वहां श्रीमती प्रेम तिगड़ाना की अध्यक्षता में मनरेगा मजदूरों के हुए जिला सम्मेलन में 11 सदस्यीय जिला कमेटी गठित की गई जिसके जिला प्रधान प्रेम तिगड़ाना और जिला सचिव धर्मवीर सिंह चुने गये। इसके बाद मजदूर झण्डे–बैनरों और मांग पट्टिकाओं से सुसज्जित और अनुशासित जुलूस निकालते हुए लघुसचिवालय पहुंचे।

यूनियन के जिला सचिव श्री धर्मवीर सिंह ने बताया कि मनरेगा मजदूरों की हालत बेहद दयनीय है। वे बेहद गरीब हैं। उन्हें निहायत कम मजदूरी मिलती है। वे निर्मम शोषण के शिकार हैं। मनरेगा कानून के तहत प्रदेश के हर इच्छुक मजदूर का पंजीकरण कर जॉब कार्ड बनना चाहिए और साल भर काम देना चाहिए। कानूनन उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार देने की गारन्टी दी हुई है लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनको काम मिलना मृग मरीचिका बनी हुई है। सरकार की इस बहुप्रचारित मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को साल में औसतन लगभग 35 दिन ही काम मिल पाता है। बहुत सारे मजदूर इसलिए परेशान हैं कि उनको न तो जॉब कार्ड दिये जा रहे हैं और न ही काम। कइयों को किए हुए काम की दिहाड़ी का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। काम देने के मामले में भी जगह–जगह धांधली और भेदभाव हो रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कई मजदूरों को किये हुए काम की दिहाड़ी भी नहीं मिल पाती है। जो मजदूरी मिलती है वह बहुत ही कम है। मजदूरी का जो रेट आम तौर पर राज्य भर में चलन में है, मनरेगा मजदूरों को उतना रेट भी नहीं मिलता है। मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी–मजदूरी खुद हरियाणा सरकार द्वारा कुशल–अकुशल मजदूरों के लिए घोषित न्यूनतम वेतन से भी कम है। प्रचलित आम मजदूरी से भी कम वेतन–मजदूरी पर काम लेना बंधुआ मजदूरी के तुल्य है। इतनी कम मजदूरी में मजदूरों का गुजारा नहीं होता है। बढ़ती महंगाई को बेअसर करने के लिए मजदूरी का समय–समय पर सही आधार पर रिविजन नहीं होता है। इसलिए असल मजदूरी लगातार घटती जा रही है। मनरेगा मजदूरों को काम पर बहुत दूर पैदल जाना पड़ता है जिसमें उनका काफी समय और शक्ति जाया होती है। लेकिन 5 किलोमीटर तक कार्यस्थल पर जाने–आने के ऐवज में उन्हें कोई राशि नहीं दी जाती है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के रख–रखाव के लिए क्रेच आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कार्यस्थल पर चोट लगने पर इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब समस्याओं के चलते मनरेगा मजदूरों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार से मनरेगा मजदूरों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने मजदूरों से अपनी ज्वलंत मांगों को मानने के सरकार को झुकाने के लिए जोरदार आन्दोलन गठित करने का आह्वान किया।

प्रदर्शनकारियों को एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान श्री रामफल, जिला कमेटी सदस्य श्री राजकुमार ने भी सम्बोधित किया।

भिवानी : मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे मनरेगा मजदूर

ज्ञापन में ये मांगें की गई :

1. सभी गांवों में मनरेगा के तहत काम चालू किया जाए।
2. सभी इच्छुक मजदूरों के जॉब कार्ड बनाये जायें व प्रतिदिन हाजरी दर्ज की जाए। भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए।
3. मनरेगा मजदूरों को सारा साल काम दिया जाये तब तक कम से कम 200 दिन काम की गारण्टी दी जाये व 600 रुपये दैनिक दिहाड़ी दी जाए। महंगाई को बेअसर करने के लिए समय–समय पर मजदूरी भी बढ़ायी जाये।
4. मनरेगा के पिछले काम की मजदूरी की बकाया राशि का उचित ब्याज सहित जल्द भुगतान किया जाए।
5. भवन व संनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में मनरेगा मजदूरों के पंजीकरण व हितलाभ पाने की प्रक्रिया सरल की जाये।
6. कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृतक मजदूर के परिवार को कम से कम 11 लाख रु. व सामान्य मौत पर 5 लाख रु. मुआवजा दिया जाए। काम पर घायल या बीमार होने पर मजदूरों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे।
7. बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान सख्ती से लागू किया जाये।
8. सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों के लिए कस्सी, तसले, गैंती औजार व पीने के साफ पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं कार्यस्थल पर उपलब्ध करवायी जायें।
9. काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार की मान्यता दी जाये। अन्य मजदूरों और मनरेगा मजदूरों के बीच मजदूरी में व्याप्त भेदभाव समाप्त किया जाए और मजदूरी बढ़ाकर मजदूरी में समानता लाई जाये।
10. मनरेगा की जिला व खण्ड स्तर की निगरानी कमेटी में यूनियन का प्रतिनिधित्व दिया जाए।

मनरेगा मजदूरों ने सौंपा ज्ञापन

हांसी (हरियाणा) : हरियाणा के हिसार जिला तंर्गत हांसी शहर में मनरेगा मजदूरों ने एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध मनरेगा मजदूर यूनियन के बैनर तले 6 मार्च को प्रदर्शन किया गया और एस.डी.एम.(नागरिक), हांसी के द्वारा मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को मनरेगा मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शन की अगुआई एआईयूटीयूसी के राज्य कमेटी सदस्य कॉ0 मेहर सिंह बागड़ और मनरेगा मजदूर यूनियन के जिला सचिव कॉ. दिलबाग सिंह ने की।

एआईयूटीयूसी ने निकाला जुलूस

मुजफ्फरपुर (बिहार) : उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बैंक मित्रों पर प्रबंधन द्वारा किये गये मुकदमें वापस लेने सहित सभी मांगों को अविलंब स्वीकार करने के समर्थन में 4 मार्च को एआईयूटीयूसी के जिला सचिव मो. इदरीश के नेतृव में जुलूस निकाला गया। जुलूस एआईयूटीयूसी कार्यालय मोतीझील से शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय कलमबाग चौक पहुंचा जहाँ पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा को सम्बोधित करते हुए मो. इदरीश ने कहा कि देश–प्रदेश में शासन कर रहे सभी दल निजीकरण का समर्थन कर रहे हैं।आउटसोर्सिंग से बैंक मित्रों की नियुक्ति हुई है। वे बंधुआ मजदूर का जीवन जीने पर मजबूर हैं। उनके जनवादी अधिकार छीन लिये गये हैं। उन्होंने बैंक मित्रों से आन्दोलन की व मजदूर संगठनों से समर्थन की पुरजोर अपील की।

सभा को एआईयूटीयूसी के राज्य कमेटी सदस्य नरेश राम, अनामिका कुमारी, इन्दु कुमारी, लालबाबू राय, बिहार राज्य मोबाइल टावर कामगार यूनियन के अध्यक्ष कुमोद कुमार आदि ने भी सम्बोधित किया। शिमला कुमारी ने मजदूर आन्दोलन पर रचित एक जनवादी गीत प्रस्तुत किया।

मिड–डे मील के साथ आधार जोड़ने का एसयूसीआई(सी) ने किया विरोध

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 5 मार्च को जारी एक बयान में :

मिड–डे मील पाने के स्कूली छात्रों को आधार कार्ड नम्बर प्रदान करने के लिए मजबूर करने के केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाजायज फैसले का एसयूसीआई(सी) पुरजोर विरोध करती है। सब्सिडियों देने में पारदर्शिता लाने के बहाने लिए गए इस घोर नाजायज फैसले से देश भर में कुपोषण के कारण बौने रह गए 7 करोड़ 20 लाख बच्चों सहित कुल लगभग 12 करोड़ स्कूली बच्चे प्रभावित होंगे। मिड–डे मील भारतीय बच्चों की एक महत्वपूर्ण पात्रता बनती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत और नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट के तहत कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। स्कूली भोजन के साथ अचानक आधार कार्ड जोड़ने का एकतरफा फैसला इस जायज पात्रता को निर्लज हनन है। अगर सरकार वास्तव में सब्सिडी की चोरी और दुरुपयोग रोकना चाहती है तो पहले से मौजूद दण्ड विधि के तहत उपयुक्त प्रशासनिक कदम उठा कर आसानी से रोक सकती है। सरकार द्वारा उस रास्ते को ही दरकिनार किये जाने में बाद में अधिकारिक फरमान से गैर–अनुपालन का हौआ पैदा करके इस सुविधा में संभावित कटौती की बू आ रही है। इसके अलावा आधार कार्ड जारी करने का काम ज्यादातर जगह फीस लेने वाली प्राइवेट एजेन्यिों के हवाले किया हुआ है। ये भी आरोप हैं कि बेईमान तत्वों द्वारा गरीब वंचित तबके के लोगों को फर्जी आधार कार्ड देकर बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए आधार कार्ड जरूरी करना घोर जनविरोधी कदम है।

यह फैसला तुरंत वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सशक्त संयुक्त आन्दोलन गठित करने के लिए हम दुखी लोगों का आह्वान करते हैं।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन नं. : 011–25726631, 9868350503